राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और
भारतीय वन्यजीव संस्थान की पहल

जैव विविधता संरक्षण और गंगा जीर्णोधार

भारत सरकार ने बेसिन स्तर पर गंगा नदी के पुनर्जीवन मुद्दे का समाधान करने के लिए 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' की स्थापना की है, जिससे पानी की गुणवत्ता, पारिस्थितिकीय बहाव, जैव विविधता के मूल्य और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं आदि को बनाये रखा जा सके। हाल ही में, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के माध्यम से, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण' ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन प्रारम्भ किया है और गंगा नदी संरक्षण में चुनौतियों के समाधान के एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ चार अलग–अलग क्षेत्रों, अर्थात, अपशिष्ट जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण और नदी के चौमुखी विकास में चुनौतियों को हल करने का प्रयास इसका उद्देश्य है। गंगा नदी की जैव विविधता के मूल्य को बहाल करने के लिए एक व्यापक नीति विकसित की गई है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2020 तक उन प्रजातियों के लिए संकट में विशेष कमी आये, जो या तो वर्तमान में लुप्तप्राय है या जिनकी निकट भविष्य में लुप्तप्राय होने की आशंका है।

जैव विविधता का संरक्षण और गंगा जीर्णोधार' परियोजना इस संरक्षण नीति का अभिन्न हिस्सा है। इसका उद्देश्य कई हितधारकों को शामिल करके गंगा नदी के लिए विज्ञान आधारित जलीय प्रजातियों की बहाली योजना को विकसित करना है। इसमें निम्नलिखित संरक्षण कार्यों को प्रस्तावित किया गया है: (क) भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून में विज्ञान आधारित संरक्षण योजना और सूचना के प्रसार के लिए गंगा जलजीवन संरक्षण, अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना। (ख) गंगा नदी की जैव विविधता की रुपरेखा तैयार करना और चयनित क्षेत्रों और प्रजातियों के लिए प्रजातियों की बहाली की प्रायोगिक परियोजना विकसित करना। (ग) संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रजातियों (गंगेय डाल्फिन, मगरमच्छ, ऊदबिलाव और जलीय पक्षी) की नियमित निगरानी के लिए गंगा नदी वाले राज्यों के वन विभागों और अन्य हितधारकों की क्षमता का विकास करना। (घ) वन और पशु चिकित्सा विभागों के सहयोग से मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास द्वारा चयनित स्थलों पर गंगा के लुप्तप्राय जीवों के बचाव और पुनर्वास केंद्र स्थापना में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की सहायता करना। (ड.) प्रजातियों के संरक्षण के लिए नदी के किनारे बसे समुदायों को सम्मिलित करने के लिए नीतियों का विकास एवं क्रियान्वयन। (च) गंगा नदी की जलीय जैव विविधता से संबंधित संरक्षण जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना।

पारिस्थितिक की आधारभूत जानकारी विकसित एवं एकत्रित करने के लिए वन विभाग और स्थानीय स्वयंसेवकों की क्षमताओं को विकसित करना और गंगा नदी और उसके संसाधनों की निगरानी के लिए इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। इस घटक का उद्देश्य हितधारकों की क्षमता का इस प्रकार विकास करना है कि वे प्रभावी ढंग से गंगा नदी के जैव विविधता के संरक्षण के लिए योगदान कर सकें। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) प्रशिक्षण सामग्री और शिक्षा संसाधनों का विकास। (2) वन कर्मचारियों और स्थानीय युवाओं को सम्मिलित करके अग्रगामी दलों की पहचान और चयन करना उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर उनको जैव विविधता के संरक्षण और तरीकों के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण देना। (3) गंगा नदी राज्यों के वन अधिकारियों और अन्य हितधारकों का जलीय वन्य जीवों की निगरानी, झीलों के प्रबंधन योजना, संरक्षण और संरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी के लिए क्षमताओं का विकास करना।

01 गंगा जलजीवन संरक्षण अनुश्रवण केन्द्र की स्थापना

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी में जलीय प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की एक बड़े ज्ञान भण्डार की साथी संस्था के रूप में पहचान की है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून मिलकर भारतीय वन्यजीव संस्थान में गंगा जलजीवन संरक्षण अनुश्रवण केंद्र स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। इस केंद्र का उद्देश्य बहाली की प्रक्रिया में प्रासंगिक हितधारकों को शामिल करके गंगा नदी में जलीय वन्य जीवन के विज्ञान आधारित संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के उद्देश्यों के अनुसार साहित्य सर्वेक्षण और क्षेत्र में अनुसंधान के माध्यम से गंगा नदी के जलीय वन्य जीवन पर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार का निर्माण। (2) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आम जनता और वैज्ञानिक समुदाय के लिए गंगा संबंधित ज्ञान का प्रसार करना। (3) भारतीय सांस्कृतिक–सामाजिक–आर्थिक परिवेश के अनुरूप संरक्षण के प्रयासों में स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी विकसित करके नदी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की वस्तुओं और सेवाओं के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। (4) जलीय जीव जन्तुओं की आवश्यकताओं पर विचार करना और जल विकास परियोजनाओं के निष्पादन हेतु राष्ट्रीय दिशा–निर्देशों का विकास करना और इन दिशा निर्देशों को बढ़ावा देना। (5) जलीय वन्य जीवन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण पर उत्कृष्टता के एक केन्द्र के रूप में ज्ञान केन्द्र का विकास करना।

02 चयनित स्थलों पर जलीय प्रजातियों के पुनरुद्धार की योजना

जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बहाल करने के लिए इसकी जैव विविधता का पुनरुद्धार आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी में जैव विविधता के दर्जे को प्राप्त करना है जिससे कि एक प्रभावी बहाली योजना बनाई जा सके। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) भविष्य में वांछित स्थिति को प्राप्त करने के लिए नदी की स्थिति और प्रमुख प्रजातियों की पारिस्थितिकी स्थिति के बीच अनुभवजन्य संबंधों का पता लगाना। (2) गंभीर खतरे में और लुप्तप्राय प्रजातियों के आनुवंशिक परिवर्तनशीलता के रुझान और आनुवंशिक प्रवाह की वर्तमान प्रवृति का पता लगाना, जिनकी नदी की लंबवत संयोजकता के विखंडन के कारण बाधित होने की संभावना है। (3) संरक्षण महत्व की प्रजातियों में प्रमुख प्रदूषकों की सान्द्रता का आंकलन करना जो कि जीवों की दीर्घकालिक अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। (4) उच्च प्रजाति विविधता के क्षेत्रों का GIS डोमेन में मानचित्रण जहां वन्यजीव आबादी के प्राकृतिक उत्थान को संवर्धित किया जा सकता हो। (5) सूचक प्रजातियों/समुदायों की पहचान जिन्हें गंगा नदी के पारिस्थितिकी स्वास्थ्य की निगरानी के लिए प्रयोग किया जा सके। (6) जलीय प्रजातियों की बहाली योजना विकसित करना और गंगा नदी के चयनित स्थानों में प्रजातियों की बहाली को प्रदर्शित करना।

03 वन विभाग और अन्य हितधारकों की क्षमता का विकास

04 बचाव और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना

कई जगहों पर अवैध शिकार, मछली पकड़ने के जाल में फंसने और गलती से अनुपयुक्त क्षेत्रों में प्रवेश के कारण गंगा नदी के वन्यजीव संकट में है। इस घटक का मुख्य उद्देश्य संकट में जलीय प्रजातियों के लिए बचाव और पुनर्वास कार्यक्रमों की एक प्रणाली को स्थापित करना है। इसके प्रमुख उद्‌देश्य हैं: (1) चयनित स्थलों पर बचाव और पुनर्वास केंद्रों की स्थापना। (2) आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए वन विभाग और क्षेत्रीय पशु चिकित्सकों की क्षमताओं का विकास। (3) युवाओं और मछुआरों सहित स्थानीय समुदायों की क्षमताओं का विकास करना जिससे कि वे ऐसी स्थिति से निपट सकें जहां जीवों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

05 जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना

इस घटक का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों के लिए प्रोत्साहन आधारित नीतियों को विकसित करना है ताकि उन्हें गंगा नदी और उसकी जैव विविधता के संरक्षण में भाग लेने के लिए लामबंद किया जा सके।

इसके प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से गंगा नदी के संरक्षण में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। (2) विभिन्न स्तरों पर हितधारकों की भागीदारी से जैव विविधता के संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। (3) गंगा नदी द्वारा विभिन्न हितधारकों को प्रदान की जा रही पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मौद्रिक योगदान का आंकलन करना (4) स्थानीय लोगों के साथ स्थल विशेष आजीविका संरेखित संरक्षण प्राथमिकता वाली नीति का विकास करना। (5) प्रमाणित स्थलों पर परियोजना उपक्रम की संवहनीयता के लिए संस्थागत तंत्र विकसित करना।

06 प्रकृति व्याख्या और जैव विविधता के संरक्षण के लिए शिक्षा

चयनित स्थलों पर भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा व्याख्या केन्द्रों की स्थापना कर गंगा नदी के जलीय जैव विविधता के मूल्य के बारे में स्थानीय समुदायों को शिक्षित किया जाएगा। इस घटक के प्रमुख उद्देश्य हैं: (1) चयनित स्थलों पर व्याख्या केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से जलीय जैव विविधता और प्राकृतिक प्रक्रियाओं के मूल्यों के बारे में समुदाय के साथ संवाद स्थापित करना। (2) समुदाय आधारित पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के तंत्र द्वारा गंगा नदी बेसिन की प्राकृतिक व्यवस्था के विषय में जनता को शिक्षित और शामिल करना। (3) नदी पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी स्थिति और संसाधनों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना।

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
National Mission for Clean Ganga

न्यूक्लियर पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उद्यम)
NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA LIMITED (A Government of India Enterprise)

उत्तराखण्ड वन विभाग

U.P. Forest Department

Department of Forests & Environment Government of Jharkhand

বন বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Xpressions: 9219552563 | Doc. No. XPS250616650